न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
54/2022	2022/.......	30.08.2022	30.08.2022

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर —प्रार्थी

बनाम्

चौथूराम पुत्र गोपीराम जाति बलाई निवासी थोई तहसील श्रीमाधोपुर —अप्रार्थी

विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–:: निर्णय ::–

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, पटवारी हल्का थोई द्वारा दिनांक 10.12.2021 को तैयार की गई फर्द मौका पर्चा सीमाज्ञान रिपोर्ट, अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर एंव श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महो., राजस्व (ग्रुप–6) जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। जिसके अनुसार तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम थोई के कृषि भूमि खसरा नम्बर 819/2 रकबा 0.9240 हैक्टर में से 840 वर्गमीटर प्रचलित रास्ता जो अजीतगढ़–नीमकाथाना सड़क से बलाईयों के मौहल्ले तक जाता है। जिस पर सीमेन्ट ब्रिक्स मौके पर बिछी हुई होकर उक्त जा[illegible] रास्ता जो मौके पर चालू रास्ता है परन्तु राजस्व अभिलेख एंव राजस्व [illegible] नहीं है। सबंधित पटवारी हल्का थोई ने अपनी फर्द मौका पर्चा सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 10.12.2021 में ग्राम [illegible] की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:15:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

20/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

भूमि खसरा नम्बर 819/2 रकबा 0.9240 हैक्टर किस्म बारानी.2 के मौके पर उपस्थित खातेदारों द्वारा सहमति प्रदान होने पर व सीमाज्ञान से संतुष्ट होने पर रास्ते का प्रस्ताव अलग से तैयार किया जाकर उक्त रास्ते को वर्तमान में चालू होकर सार्वजनिक हित में बताया गया है। इसके साथ ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है।

इस प्रकार यह विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के तहत स्वीकार किये जाने योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम थोई के कृषि भूमि खसरा नम्बर 819/2 रकबा 0.9240 हैक्टर भूमि में से 840 वर्गमीटर भूमि मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एंव राजस्व नक्शे में वर्णितानुसार करावें एंव संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने एंव गैर मुमकीन रास्ते में आने वाली भूमियों का लगान कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के खाते में ही दर्ज रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव एंव नक्शा ट्रेस उक्त आदेश का भाग रहेगें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर एक माह में पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

30/08/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 30.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:15:38 IST
Reason: SelfAttested

30/08/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर